FORM No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **न्यायालय अति.जिला कलक्टर(द्वि.) अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान सरकार **बनाम मनोज बंसल**

किस्म मुकदमा 12 / 02 /2022 दर्ज दिनांक 14.01.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14–01–2022	यह पत्रावली उप निदेशक कृषि(वि.)जिला परिषद अलवर द्वारा हमारे समक्ष पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया एंव कृषि अधिकारी के कथन पर उनके द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 6ए के तहत अंकित किया कि दिनांक 12.01.2022 को रेलवे रैक पाइंट के पास एक गोदाम परिसर में ट्रक नम्बर आर.जे. 14 जी.एफ. 7623 से यूरिया अनलोड होने की शिकायत पर जांच करने गया। वाहन चालक मौंके से वाहन को लॉक कर छोड़कर चला गया। वहां खडे ट्रक से यूरिया हमारे पहूंचने से पूर्व खाली हो चुका था। मौंके पर श्री मनोज कुमार बंसल उपस्थित मिले उन्होने बताया कि यह उक्त माल उनका है और सीकरी में उनकी फर्म बंसल खाद बीज भण्डार के नाम से है। जिसके उसने मौंके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। पुलिस थाना एनईबी अलवर से जाप्ता मंगवाया गया। पुलिस की उपस्थिति में श्री बंसल से गोदाम खुलवाने के लिये अनुरोध किया गया परन्तु उक्त के पास गोदाम की चाबी नहीं होना बतया गया। पुलिस द्वारा सख्ती बरतते हुए उसी के द्वारा उस गोदाम का ताला तुडवाया गया। उप निदेशक द्वारा निरीक्षण के दौरान इफकों, चम्बल कैमिकल्स एवं फर्टिलाईजर्स और एन.एफ. एल. के यूरिया के बैग मौंके पर मिले उक्त यूरिया बैग के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर श्री मनोज बंसल ने बताया कि एन.एफ.एल.के अनुमानित 1280 बैग चम्बल के 370 एवं इफकों के 1960 बैग संदेह के आधार पर उक्त बताई गई मात्रा उर्वरक का सीजर नोट मौंका पर्चा निरीक्षण प्रतिवेदन व अन्य दस्तावेज तैयार कर उक्त गोदाम का ताला श्री बंसल द्वारा लगवाया गया। श्री मनोज बंसल को पुलिस की सहायता से पुलिस थाना एनईबी अलवर लाया गया। उक्त के खिलाफ पुलिस थाना एनईबी में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं आईपीसी के धारा 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। गोदाम का दिनांक 12.01.2022 की रात्रि को सील किये गये ताले की सील को हटाकर श्री बंसल द्वारा गोदाम का ताला खुलवाया गया। जिसकी चाबी रात्रि को ही सील करने के पुनः श्री बंसल को दे दी गई थी। उक्त माल को श्री बंसल की उपस्थिति एवं विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में गोदाम से लोड करवाकर क्रय–विक्रय सहकारी समिति अलवर में खाली करवाया। श्री मनोज कुमार बंसल पुत्र स्व0श्री दामोदर बंसल द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज–9 एवं 25 (1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जिसमें श्री बंसल द्वारा अलवर जिले में बिना वैध लाईसेन्स के उर्वरक को हैण्डलिंग किया गया तथा अवैध तरीके से भण्डारित किया गया। वर्तमान में यूरिया की मांग बढी हुई है। इसलिये श्री बंसल द्वारा यूरिया की कालाबाजारी कर यूरिया को किसानों को	

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अधिक दामों पर बेचे जाने को सत्यापित करता है। इस कृत्य के लिये सम्बन्धित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सपठित धारा 3/7 एवं आई.पी.सी. की धारा 420 में पुलिस थाना एन.ई.बी. में दर्ज कराई गई। प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त यूरिया को राजसात करते हुए क्रय-विक्रय सहकारी समिति अलवर को उक्त यूरिया को किसानों में बेचान कर राशि राजकोष में जमा कराने का निवेदन किया।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया। वर्तमान में किसानों की मांग को देखते हुए जप्तशुदा उर्वरक एन.एफ.एल. के 1270 बैग चम्बल के 305 एंव इफको 1510 बैग को क्रय-विक्रय सहकारी समिति अलवर के मार्फत कृषि विभाग अलवर की देखरेख में आवश्कतानुसार किसानों में वितरण कर राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

14/1/2022

अति0जिला कलक्टर
द्वितीय अलवर